कार्यालय नगर परिषद् ,महनार।

पत्रांकः— 1281   दिनांकः— 19.11.18

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् ,महनार।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
श0 स्था0 नि0/समाजिक प्रक्षेत्र
स्थानीय लेखा परिक्षा शाखा, पटना।

विषयः— नगर परिषद् ,महनार के वर्ष 2015—2016 से 2016—2017 के लेखाओं पर संधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0— 879/2017—2018 के अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंगः— भवदीय पत्रांक संख्या— एल0ए0/एस0एस0—1/श0स्था0नि0/14730/453 दिनांक— 28.03.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक मे निदेशानुसार नगर परिषद् , महनार के वर्ष 2015—16 से 2016—2017 तक के लेखाओं पर संधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0— 879/2017—2018 का कांडिका वार अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के मुल मे संलग्न कर भवदीय की सेवा में भेजी जा रही है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
19/11/18
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् ,महनार।

ज्ञापांक: 1281 दिनांक 19.11.2018

प्रतिलिपिः— (1) सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।
(2) उपसमाहर्ता, प्रभारी जिला सामान्य प्रशाखा, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

19/11/18
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् ,महनार।

कार्यालय नगर परिषद् ,महनार।

नगर परिषद् , महनार के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर संधारित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या– 879/2017–18 मे उठाए गए आपत्तियों का कण्डिका वार अनुपालन प्रतिवेदन :–

भाग– ii

क0 स0	कण्डिका संख्या	आपत्ति का विषय	अनुपालन
01	01	एल0ई0डी0 लाईटों का अनियमित क्रय।	1. जानकारी के अभाव मे निविदा प्रकाशन के समय तकनिकी विशिष्टता का उल्लेख नहीं किया जा सका था तथा तुलनात्मक विवरणी पूर्ण रूप से नहीं भरा गया था। भविष्य मे निविदा आमंत्रित करते समय इसे विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाएगा। 2. स्ट्रीट लाईटों के उर्जा विपत्र का भुगतान चेक संख्या– दिनांक– के द्वारा किया जा चुका है। 3. गुणवत्ता संबंधित प्रमाण–पत्र निकट भविष्य मे उपलब्ध करा दिया जाएगा। 4. वैट की राशि की वसुली हेतु पुर्व मे आपूर्तिकर्त्ता को नोटिस की जा चुकी है तथा वाणिज्यकर विभाग को भी बिल की सत्यापन एवं राशि जमा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी के लिए पत्र लिखा जा चुका है। आपूर्तिकर्त्ता को भी पुनः नोटिस निर्गत किया गया है।
02	02	सैरातों की अनियमित बन्दोवस्ती :– क :– सैरात बन्दोवस्ती मे स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाना। ख :– न्युनतम सुरक्षित जमा राशि से कम राशि पर बन्दोवस्ती किये जाने के कारण हानि।	क1. सैरात पंजी का संधारण किया जा रहा है। 2. जानकारी के अभाव मे अज्ञानता वस 03 प्रतिशत् स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा नहीं किया गया था। भविष्य मे इसका ध्यान रखा जाएगा। ख. नगर परिषद् के द्वारा निर्धारित तीन तिथियों तक न्युनतम सुरक्षित जमा राशि से कम डाक बोलने के कारण अंतिम तिथि को वर्ष 2016–17 मे उच्च बोली लगाने वाले को बन्दोवस्ती का अधिकार

			दिया गया। ऐसा नहीं करने पर विभागीय वसुली की आदेश देना बाध्यकारी हो जाता तथा पुर्व की तरह बहुत ही कम वसुली हो पाती। इस प्रकार राजस्व की और अधिक क्षति होती।
		ग :– सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं।	ग. नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत गंगा धाटों पर पानी नहीं रहने के कारण विगत कई वर्षो से शव–दाह जलावन लकड़ी की बन्दोवस्ती मे कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता है जिसके कारण इसका बन्दोवस्ती विज्ञापन प्रकाशन के बावजुद नहीं हो रहा है।
03	03	कः– कर संग्राहकों द्वारा कम जमा/नहीं जमा राशि।	क. कर संग्राहकों श्री आशुतोष कुमार झा एवं श्री जयलाल राय के द्वारा राशि जमा कर दी गई है। साथ ही दिनांक– 23.08.2017 को रोकड़पाल के द्वारा विविध रशिद एवं कर संग्राहक से प्राप्त नगद राशि को सी0बी0आई0, महनार खाता संख्या– 3398870253 मे जमा कर दी गई है जिसका प्रमाण लेखा परिक्षा मे दिखा दिया गया है। दैनिक वसुली पंजी तथा मॉग एवं वसुली पंजी का संधारण किया जा रहा है। विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा जमा नहीं किया गया कुल राशि रू0– 377075– जमा करवा लिया गया है। आगे से विलम्ब शुल्क के साथ राशि की वसुली की जाएगी।
		ख :– विविध रसीद एवं होल्डिंग से वसुली गई नगद राशि अंकेक्षण आपत्ति के दौरान जमा	ख. रोकड़पाल पर विविध रसीद एवं होल्डिंग से प्राप्त राशि रूपया– 398912– दिनांक– 23.08.2017 को जमा कर दिया गया। रामप्रवेश राय के द्वारा भी शेष राशि– 48750–रूपया जमा किया जा चुका है।
04	04	नगर परिषद् कार्यालय द्वारा सुद की राशि का दावा नहीं।	4. बैंक द्वारा काफी प्रयास के बाद सशर्त्त राशि वापस की गई है तथा आंतरिक अनुसंधान कार्य चल रहा है। आपत्ति के आलोक मे बैंक पर सुद की राशि का दावा किया गया है परंतु बैंक के द्वारा अभी तक सुद की राशि जमा नहीं किया

			गया है।
05	05	नगर परिषद् , महनार के वेबसाईट का निमार्ण सर्विस टैक्स की वसुली नहीं।	5 i. वेबसाईट निमार्ण एवं कार्यरत होने के बाद ही वेबसाईट निमार्णकर्त्ता को राशि का भुगतान किया गया। ii. चुकिं निविदा – 420000– रूपया का था इसलिए बिहार नगरपालिका अधिनियम एवं विभागीय परिपत्र के आलोक मे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही इसका निष्पादन किया गया। iii. प्रारंभ मे 02 लाख रूपया का भुगतान किया गया था। कार्य समाप्त होने के उपरांत दिनांक–03.02.2017 को शेष राशि 02 लाख 20 हजार रूपया का भुगतान किया गया। iv. भुलवश परफारमेंस सिक्योरिटी की कटौती नहीं की जा सकी थी। v. भुलवश सर्विस टैक्स की कटौती नहीं की जा सकी थी। सर्विस टैक्स की वसुली हेतु वेबसाईट निमार्णकर्त्ता को पत्र लिखा गया है। vi. उक्त भुगतान बायोमैट्रीक ऐटेंडस मशीन के क्रय से संबंधित है।
06	06	नक्शा स्वीकृति मे डेवलपमेन्ट परमिट फिस नहीं लिया जाना।	6.जानकारी के अभाव मे नक्शा स्वीकृति मे विकास शुल्क की वसुली नहीं की जा सकी। आगे से नक्शा स्वीकृति मे विकास शुल्क की वसुली की जाएगी। विदित हो कि बिहार भवन उपविधि–2014 मे अपार्टमेन्ट निमार्ण करने वाले बिल्डरों से विकास शुल्क का प्रावधान किया गया है। परंतु आवासीय भवनों से विकास शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है।
07	07	संचार मिनारों (मोबाईल/इन्टरनेट इत्यादि) पर बकाया।	7 i .बकाये की वसुली के लिए नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा नोटिस भेजी गई है जिसमे ब्याज को भी शामिल किया गया है। ii. सर्वे का कार्य एन्टीना सहित पूर्ण कर लिया गया है तथा बकाए राशि की गणना कर ली गई है। iii. कर की वसुली हेतु अपेक्षित कार्रवाई की

			जा रही है। iv. नगर पंचायत, महनार के द्वारा कोई भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है। इस संबंध मे अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।
08	08	योजना का कियान्वयन प्राईवेट जमीन पर।	8i. जनहित मे सरकारी जमीन के अभाव मे प्राईवेट जमीन पर जमीन मालिक की सहमति से योजना का कियान्वयन बोर्ड के निर्णय के आलोक मे किया गया है। ii. योजना का कियान्वयन नियमानुसार निविदा के माध्यम से की गई थी। iii. जानकारी के अभाव मे कम सुरक्षित जमा राशि की कटौती की गई थी। भविष्य मे इसका ध्यान रखा जाएगा कि संवेदक को अदेय सहायता न प्राप्त हो सके। iv. संवेदक से सूचना पटट् एवं फोटोग्राफी अभिश्रव प्राप्त कर ली गई है।
09	09	अनियमित भुगतान	9. जानकारी के अभाव मे कम सुरक्षित जमा राशि की कटौती की गई थी। भविष्य मे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि संवेदक को अदेय सहायता प्राप्त न हो सके। साथ ही भविष्य मे योजना से संबंधित स्थल निरीक्षण एवं योजना मे प्रयुक्त सामग्रीयों की गुणवत्ता की जॉच पर ध्यान रखा जाएगा।
10	10	सफाई कार्य मे अधिक भुगतान	10i. भविष्य मे निविदा आमंत्रित करते समय इसे विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाएगा। जिसमे सभी आवश्यक मापदंडों का उल्लेख किया जाएगा। ii. सभी निविदादाता को समान अवसर देने के लिए स्पष्ट रूप से मापदण्ड तय कर निविदा प्रकाशित किया जाएगा तथा उसमे न्युनत्तम कार्य अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। iii. भविष्य मे बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के अधिन भुगतान के समय लेखा नियमों तथा परफॉमेंस सिक्युरिटी, सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सर्विस टैक्स की कटौती की जाएगी।

11	11	विज्ञापन कार्य हेतु मेसर्स मॉ वैष्णव एडवरटाईजर को भुगतान	11 i. जानकारी के अभाव मे फर्म के चयन, कार्यादेश आदि मे विहित प्रक्रिया एवं निर्धारित दर का उल्लेख आदि का ध्यान नहीं रखा गया था। भविष्य मे इसका ध्यान रखा जाएगा। ii. स्थानीय नागरिकों एवं संबंधित पार्षदों के प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किया गया है।
12	12 (क)	12(क) भूमि क्रय मे अधिक भुगतान	i. भूमि का क्रय जिला अवर निबंधन कार्यालय के द्वारा निर्धारित न्युनत्तम दर पर किया गया है। ii. बोर्ड के निर्णय के आलोक मे चतुर्थ राज्य वित्त मद से ली गई लंबित योजना को पूर्ण करने के लिए भूमि का क्रय किया गया। iii. विक्रता से अधिक भुगतान की गई राशि की वसुली कर ली गई है।
13	12 (ख)	12(ख) नगर पंचायत द्वारा भूमि क्रय मे त्रुटियॉ।	i. सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु नगर पंचायत के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी से पत्राचार किया गया था परंतु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। ii. जिला अवर निबंधन कार्यालय द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार भूमि का क्रय किया गया। iii. श्रीमति बबीता देवी द्वारा समर्पित अभिरूचि मे भुल–वश रकवा 17 डी0 वर्णित हो गया था। दिनांक– 11.04. 2016 को 17.5 डी0 का एकरारनामा कर भूमि क्रय किया गया है। अधिक भुगतान की गई राशि की वसुली विक्रेता श्रीमति बबिता देवी सें कर ली गई है।

भाग– iii

क्र0 स0	टिप्पणी सं0	टिप्पणी का विषय	अनुपालन
01	01	बजट प्राक्कलन	i. जनकारी के अभाव मे बजट तैयार करने मे नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जा सका। अगले वित्तीय वर्ष मे इन बातों का ध्यान रखा जाएगा।

			ii. कार्यालय मे दक्ष कर्मीयों के कमी के कारण मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया जा सका। इसे तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।
02	02	सरकारी अनुदान	i. प्रपत्र संख्या– 28 एवं 29 का संधारण कर लिया जाएगा।
03	03	वार्षिक विवरण का संधारण नहीं	i. कार्यालय मे दक्ष कर्मीयों के कमी के कारण वार्षिक विवरण का संधारण नहीं किया गया। अगले वित्तीय वर्ष से वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा।
04	04	वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना	i. कार्यालय मे दक्ष कर्मीयों के कमी के कारण वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र का संधारण नहीं किया गया। अगले वित्तीय वर्ष से वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार किया जाएगा।
05	05	असमायोजित अग्रीम	i. अग्रीम पंजी का संधारण कर समायोजन दर्ज कर लिया गया है।
06	06 (क)	रोकड़बही के संधारण मे त्रुटियॉ	i. भविष्य मे रोकड़बही का संधारण अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक मे सुधार कर किया जाएगा। ii. भविष्य मे मासिक/वार्षिक अंतशेष की राशि का बैंक खातों/पी0एल0 खातों के अंतशेष राशि के साथ सामाधान विवरणी तैयार किया जाएगा।
07	06 (ख)	प्रविष्टियों का रोकड़बही मे दर्ज नहीं किया जाना	i. राशि की प्रविष्टि रोकड़बही मे कर ली गई है। ii. चेक इन कैश नहीं होने के कारण इसकी प्रविष्टि ट्रेजरी पासबुक मे नहीं की गई है। iii. रोकड़बही तथा कोषागार पासबुक मे दर्ज प्रविष्टियों मे पाये गए अंतर को ठीक कर लिया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् , महनार।